राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28( )पराविं/प्रशा.2/ग्रा.से.सी.भर्ती/2011/ 539 जयपुर,दिनांक: 7.3.2011

आदेश

1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि परिशिष्ठ 'अ' व 'ब' में निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित संख्या में ग्राम सेवको को प्रशिक्षण स्थल के लिये नामांकित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण मोडयूल की प्रति परिशिष्ट–स पर सलंग्न है।

2 नवचयनित ग्राम सेवको को चार सप्ताह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण तथा 11 सप्ताह का फील्ड प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। फील्ड प्रशिक्षण में से सात सप्ताह का प्रशिक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर तथा एक–एक सप्ताह का प्रशिक्षण क्रमशः पंचायत समिति व जिला परिषद एवं दो सप्ताह का **RKCL Computer** प्रशिक्षण जिला स्तर पर प्रदान किया जावेगा। सम्पूर्ण फील्ड प्रशिक्षण मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के मार्गदर्शन में सम्पन्न किया जावेगा।

3 उक्त फील्ड प्रशिक्षण के दौरान नवचयनित ग्राम सेवक द्वारा दैनन्दिनी (Daily Diary) संधारित की जावेगी। उक्त डायरी में फील्ड प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन किये गये कार्यो का लेखा जोखा रखा जावेगा। फील्ड प्रशिक्षण के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर किये जाने वाले कार्यो के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य पद्वति तथा संधारित किये जाने वाले अभिलेख की जानकारी प्राप्त की जावेगी। इसी प्रकार पंचायत समिति व जिला परिषद के स्तर पर ग्राम पंचायत के आपसी समन्वय, योजना निर्माण तथा जिला आयोजना समिति द्वारा जिला योजना के अनुमोदन तथा बजट प्रस्ताव तैयार करने तथा अनुमोदन करने आदि विषयो पर विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त किया जावेगा।

4 ग्राम सेवक सीधी भर्ती परीक्षा 2011 के अन्तर्गत नवचयनित ग्राम सेवको को किसी भी स्थिति में बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये ग्राम पंचायत का स्वतन्त्र कार्यभार नहीं सम्भलवाया जावे। उक्त ग्राम सेवको को दिनांक 30 मार्च 2011 तक संबंधित पंचायत समिति में उपस्थिति अंकित करवाने हेतु पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है। तदनुसार उपस्थिति अंकित कराने के बाद उक्त ग्राम सेवको को निर्धारित संख्या के अनुसार सैद्वान्तिक प्रशिक्षण हेतु भिजवाया दिया जावे। सैद्धान्तिक प्रशिक्षण में भिजवाये गये ग्राम सेवको के बाद जिले में शेष रहने वाले नवचयनित ग्राम सेवको को ग्राम सेवका के रिक्त पदो वाली ग्राम पंचायतो में कार्यभार सम्भालने वाले ग्राम सेवक के साथ सहयोगी के रूप में कार्य करने हेतु निर्देशित किया जावे। पूर्व बैच में चार सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद लौटने वाले नवचयनित ग्राम सेवको को भी उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण पूर्ण होने तक रिक्त पदो

वाली ग्राम पंचायतो पर कार्य करने वाले ग्राम सेवको के साथ सहयोगी के रूप में लगाया जावे।

5 आवंटित संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जावे आवश्यकता होने पर अवकाश दिवसो का भी एतद् द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

6 प्रशिक्षण अवधि में चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार पारिश्रमिक देय होगा। जिसका भुगतान नियुक्ति प्रदान करने वाली पंचायत समिति द्वारा किया जावेगा।

7 नव नियुक्त ग्राम सेवको को 3 माह का कार्यकाल पूरा करने तक 5 आकस्मिक अवकाश से अधिक देय नहीं होगें।

8 नव नियुक्त ग्राम सेवको को राजकीय यात्रा किये जाने से संबंधित नियमानुसार भुगतान नियुक्ति प्रदान की गई पंचायत समिति द्वारा किया जावेगा।

9 **RKCL** के माध्यम से होने वाले प्रशिक्षण के भुगतान आदि की व्यवस्था निदेशक, आई.जी.पी.आर.एस. के माध्यम से आर.के.सी.एल. के साथ कॉनटेक्ट कर की जावेगी।

10 नव नियुक्त ग्राम सेवको का सैद्धान्तिक एवं फील्ड प्रशिक्षण पूरा होने पर इनका पदस्थापन्न पंचायत समति में रिक्त पदो पर किया जावेगा।

11 रिफ्रेशन कोर्स व परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में अलग से सूचित कर दिया जावेगा।

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, पंचयाती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव (वित्त) विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव एवं उपायुक्त (प्रशिक्षण) मुख्यालय।
7. मुख्य /अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8. आचार्य, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर/डूंगरपुर/अजमेर।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव एवं आयुक्त

परिशिष्ठ –अ

नवनियुक्त ग्राम सेवकों के आधारभूत प्रशिक्षण कराने के लिए निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है:–

क. सं.	जिला परिषद	प्रशिक्षण केन्द्र	जिला परिषदों से प्रशिक्षण हेतु भिजवाये जाने वाले नवीन चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	ग्रुप–A	ग्रुप–B	ग्रुप–C	ग्रुप–D
1	अजमेर	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर	32	32			
2	भरतपुर		25	22	3		
3	भीलवाडा		30		30		
4	धोलपुर		15		15		
5	करौली		22		6	16	
6	पाली		50			38	12
7	राजसमन्द		42				42
		योग	**216**	**54**	**54**	**54**	**54**
8	बांसवाडा	पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र डूंगरपुर	32	32			
9	दौसा		7	7			
10	डूंगरपुर		27	15	12		
11	जैसलमेर		8		8		
12	झालावाड		39		34	5	
13	झुन्झुनू		4			4	
14	नागौर		53			45	8
15	प्रतापगढ		9				9
16	सिरोही		25				25
17	टोंक		12				12
		योग	**216**	**54**	**54**	**54**	**54**
18	अलवर	इ.गा.पं.संस्थान जयपुर	21	21			
19	बारा		20	20			
20	चूरू		4	4			
21	गंगानगर		3	3			
22	सवाईमाधोपुर		4	4			
23	सीकर		3	3			
		योग	**55**	**55**	**0**	**0**	**0**
24	बाडमेर	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र मण्डोर	35	35			
25	बीकानेर		20	19	1		
26	चित्तोडगढ		33		33		
27	जालोर		48		20	28	
28	जोधपुर		34			26	8
29	उदयपुर		46				46
		योग	**216**	**54**	**54**	**54**	**54**
		महायोग	**703**	**217**	**162**	**162**	**162**

प्रशिक्षण हेतु ग्राम सेवको के चार बेंच (ग्रुप– A, B, C, D) एक साथ निम्न कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेगें:–

प्रशिक्षण अवधि	क्लास रूम ट्रेनिंग (4 सप्ताह)	फील्ड अटेचमेन्ट (ग्राम पंचायत प्रशिक्षण) (7 सप्ताह)	पं.स. / जि.पं. एवं RKCL प्रशिक्षण (1+1+2 सप्ताह)
6 अप्रैल से 3 मई,,2011	ग्रुप– A (217)	ग्रुप– B & C (प्रत्येक 162)	ग्रुप– D (162)
4 मई से 31 मई,2011	ग्रुप– B (162)	ग्रुप– C & D (प्रत्येक 162)	ग्रुप– A (217)
1 जून से 28 जून,2011	ग्रुप– C (162)	ग्रुप– D & A (प्रत्येक 162)	ग्रुप– B (162)
29 जून से 26 जुलाई,2011	ग्रुप– D (162)	ग्रुप– A & B (प्रत्येक 162)	ग्रुप– C (162)

प्रशिक्षण अवधि		फील्ड अटेचमेन्ट			
	ग्रुप–	ग्राम पंचायत प्रशिक्षण (7 सप्ताह)	पंचायत समिति प्रशिक्षण (1 सप्ताह)	जिला परिषद प्रशिक्षण (1 सप्ताह)	RKCL Computer प्रशिक्षण (2 सप्ताह)
4 मई से 19 जुलाई,2011	ग्रुप–A (217)	4 मई से 21 जून,11	22–28जून	29 जून से 5 जुलाई	6–19 जुलाई
6 अप्रैल से 3 मई 1 जून से 19 जुलाई	ग्रुप–B (162)	6 अप्रैल से 3 मई 1–21 जून	22--28 जून	29 जून से 5 जुलाई	6–19 जुलाई
1 अप्रैल से 31 मई 29 जून से 12 जुलाई	ग्रुप–C (162)	1 अप्रैल से 17 मई	29 जून से 5 जुलाई	6–12 जुलाई	18–31 मई
6 अप्रैल से 28 जून	ग्रुप–D (162)	6 अप्रैल से 31 मई	1–7 जून	8–14 जून	15–28 जून

प्रपत्र–स

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

पंचायती राज विभाग में नव नियुक्त ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यविवरण

अवधि– 15 सप्ताह

1. सैद्धान्तिक प्रशिक्षण (क्लास रूम ट्रेनिंग) – 4 सप्ताह

➢ **राजस्थान पंचायती राज की मुख्य अवधारणा – 42 सत्र**

1. राजस्थान 73वां सविधान संशोधन –1 सत्र
2. त्रिस्तीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन – 2 सत्र
3. पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन एवं राज. पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 – 1 सत्र
4. पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों की शक्तियॉं, कृत्य एवं कर्त्तव्य – 1 सत्र
5. पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली एवं प्रशासन – 2 सत्र
6. पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियॉं – 1 सत्र
7. जिला आयोजना समिति गठन, अधिकार एवं शक्तियॉं – 2 सत्र
8. पंचायती राज संस्थाओं की स्थाई समितियां – गठन, अधिकार एवं कार्य प्रणाली – 3 सत्र
9. जिला परिषद् एवं पंचायती राज सेवाऐं – 5 सत्र (सेवा शर्ते, भर्ती, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्यवाहियॉं, आचरण नियम, योगकाल, अवकाश, गृह किराया, पेन्शन, सामान्य भविष्यनिधी नियम एवं यात्रा भत्ता नियम)
10. ग्राम सभा एवं वार्ड सभा – 2 सत्र
11. आबादी भूमि का सर्वे एवं अतिक्रमण निवारण कार्यवाही –1 सत्र
12. भूखण्ड आवंटन एवं पट्टा जारी करने की प्रक्रिया एवं कार्यवाही – 2 सत्र
13. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के कर्तव्य –1 सत्र
14. पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य सरकार की शक्तियां –1 सत्र
15. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के विरूद्व वाद, अपराधों के और पंचायतों को सहायता देने के संबंध में पुलिस की शक्तियां और कर्तव्य – 1 सत्र

16. विधिक प्रतिनिधित्व का वर्जन, नोटिस की विधि मान्यता, कतिपय विषयों में न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किये जाने का वर्जन एवं निगरानी याचिका – 1 सत्र
17. पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रशासनिक रिपोर्ट एवं वार्षिक कार्य योजना – 1 सत्र
18. कांजी हाऊस – 1 सत्र
19. उप विधियों की विरंचना – 1 सत्र
20. दौरे एवं निरीक्षण – 1 सत्र
21. सामाजिक अंकेक्षण – 3 सत्र
22. सूचना का अधिकार – 4 सत्र
23. कार्यालय प्रबन्धन (पत्रावली संधारण, आवक जावक रजिस्टर संधारण एवं नोटशीट की प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय पर्व आदि की महत्ता – 2 सत्र
24. पंचायत की निजी आय के प्रावधान – 2 सत्र

➤ ग्रामीण विकास की योजनाएं – 32 सत्र

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम राजस्थान – 8 सत्र
2. एम.पी.एल.ए.डी – 1 सत्र
3. एम.एल.ए.एल.ए.डी.– 1 सत्र
4. एस.जी.एस.वाई.– 1 सत्र
5. इन्दिरा आवास योजना– 2 सत्र
6. बी.ए.डी.पी.– 1 सत्र
7. मेवात/ डॉग विकास योजना– 2 सत्र
8. राजस्थान आजीविका मिशन– 1 सत्र
9. आर.जी.एस.वाई.– 2 सत्र
10. बी.आर.जी.एफ.– 2 सत्र
11. निर्बन्ध, स्वविवेक एवं जनसभागिता योजना –– 1 सत्र
12. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना – 2 सत्र
13. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था – 1 सत्र
14. जलग्रहण विकास कार्यक्रम – 2 सत्र
15. केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग से संबंधित विकास योजनाऐं– 2 सत्र
16. राजस्थान ग्रामीण कार्य निदेर्शिका, 2011 एवं तकनीकी मार्गदर्शिका (महात्मा गांधी नरेगा) की जानकारी – 1 सत्र

17.आपदा प्रबन्धन एवं तत्संबंधी राज्यनीति (स्टेट पॉलिसी), आपदा प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका– 2 सत्र

➢ मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ – 28 सत्र

1. पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित विभागों की विकास योजनाए – 15 सत्र
   1 सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (विभिन्न पेन्शन सहायता योजनाऐं, पालनहार, विधवा पालनहार योजना, विधवा पुत्री विवाह अनुदान योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी)
   2. महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाऐं।
   3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं।
   4. कृषि विभाग की विभिन्न अनुदान प्रावधानों एवं व्यक्तिगत लाभ की योजनाऐं
   5. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मिड–डे–मील योजना।
2. स्वंय सहायता समूह की अवधारणाः– 2 सत्र
3. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना)– 1 सत्र
4. गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों (बी.पी.एल.) के लिए विभिन्न सहायता योजनाऐं –2 सत्र
5. बी.पी.एल. हेतु अपील, नाम जोडना एवं हटाने की प्रक्रिया–1 सत्र
6 मुख्य मंत्री बालिका समृद्वि योजना – 1 सत्र
7. जन्म मृत्यु पंजीयन एवं विवाह पंजीयन – 1 सत्र
8. रियायती दर/ निःशुल्क भूखण्ड आवंटन, पुराने गृहो का विनियमितीकरण – 2 सत्र
9. जनजाति विकास विभाग की योजनाऐं –– 1 सत्र
10 अनुप्रति, आस्था एवं विश्वास योजना – 1 सत्र
11. निःशक्त जनों के रोजगार हेतु उपकरण सहायता योजना – 1 सत्र

➢ पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय प्रबन्धन एवं ई–गवरनेन्स – 17 सत्र

1. पंचायती राज संस्थाओं का बजट तैयार करने एवं पारित करने की प्रक्रिया, बजट बनाने के सिद्वान्त, बजट अनुमान तैयार करना,

राजस्व और प्राप्तियों के अनुमान, साधारण एवं नवीन व्यय का अनुमान, पुनर्विनियोजन आधिक्य और बचत निष्पादन बजट बनाना – 5 सत्र

2. पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन कायम रखना – 1 सत्र
3. पंचायती राज संस्थाओं के आय के स्त्रोत – 2 सत्र
4. पंचायती राज संस्थाओं में करारोपण एवं संग्रहण की प्रक्रियॉ – 2 सत्र
5. भण्डार एवं सामग्री क्रय मय निविदा प्रणाली – 3 सत्र
6. पंचायती राज संस्थाओं में लेखा अंकेक्षण (एल.एफ.ए.डी. एवं महालेखाकार) – 2 सत्र
7. ई–गवरनेन्सः– कम्प्यूटर के बारे में प्राथमिक जानकारी, कम्प्यूटर का राजकीय कार्य प्रणाली में अधिकतम उपयोग, पॉवर पाईण्ट प्रेजेन्टेशन, इण्टरनेट एवं ई–मेल की व्यवहारिक जानकारी एवं फाईल ट्रेनिग सिस्टम – 2 सत्र
8. प्रिया सोफ्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां।
9. नरेगा अन्तर्गत एम.आई.एस. (MIS) की विस्तृत जानकारी।

2. फील्ड प्रशिक्षण – 9 सप्ताह

1 प्रशिक्षणरत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को फील्ड प्रशिक्षण हेतु ग्राम पंचायत में – 7 सप्ताह (निम्नानुसार)

1. नरेगा कार्य – 1 सप्ताह
2. पंचायती राज विभाग की योजना – 1 सप्ताह
3. ग्रामीण विकास की योजना – 1 सप्ताह
4. ग्राम पंचायत रिकार्ड संधारण – 2 सप्ताह
5. मिडे–डे–मील व वाटर शैड कार्यक्रम – 1 सप्ताह
6. ग्राम पंचायत प्लान, पंचायत सम्पत्तियों का संधारण – 1 सप्ताह

2 पंचायत समिति में – 1 सप्ताह

3 जिला परिषदों में – 1 सप्ताह

3. कम्प्यूटर प्रशिक्षण – 2 सप्ताह (10 कार्य दिवस)

प्रशिक्षणरत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिवों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर अनुमोदित एजेन्सी RKCL का सहयोग लिया जाकर 10 कार्यदिवस का विस्तृत कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की सूची :—

1. श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान् अति. आयुक्त (प्रशा.2) पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान अति. आयुक्त (महात्मा गांधी नरेगा), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4 अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. उप शासन सचिव (प्रशिक्षण) पंचायती राज विभाग, जयपुर।
6 परियोजना निदेशक एवं उप शासन सचिव (मू एवं मो.) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
7 परियोजना निदेशक एवं उप शासन सचिव (विशिष्ट स्कीम) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
8 अधीक्षण अभियन्ता (ग्रामीण विकास) ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद— जोधपुर, डूंगरपुर, अजमेर।
10. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद— जोधपुर, डूंगरपुर, अजमेर।
11. प्राचार्य, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर, डूंगरपुर, अजमेर।
12. अधिशाषी अभियन्ता (अभियान्त्रिकी) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जोधपुर, डूंगरपुर, अजमेर।
13. अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जोधपुर, डूंगरपुर, अजमेर।
14 अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन) जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जोधपुर, डूंगरपुर, अजमेर।
15 व्याख्याता (पंचायत/ लेखा/समाजविज्ञान/ अभियान्त्रिकी) पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर, डूंगरपुर, अजमेर।
16 स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य विषय विषयज्ञ / संदर्भ व्यक्ति।